

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र / 113 / 2022

इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी, श्री शुभंगा संदरा पंडियन,
.....प्रार्थी/सिक्योरिटी क्रेडिटर
बनाम

1-मैसर्स डॉली दुध भण्डार, प्रो. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, पता- प्लॉट नं. 131
संजय नगर फेज-111 भरतपुर

2-श्री चरण सिंह, पता- प्लॉट न. 131 संजय नगर, फेज 111 भरतपुर जिला भरतपुर
.....अप्रार्थी ऋणी
.....जमानतदार



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटी डिफॉल्ट एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है वंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी वावत।

आदेश

दिनांक 28-6-2023

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी० अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी० ऋणी से वंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी० ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 02.02.2019 को खाता संख्या 243433000000042 में 1100000/- व खाता संख्या 243403707000001 में 400000/- रुपये कुल 1500000/- की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं.131, जिसका क्षेत्रफल 164 वर्ग गज जो कि स्कीम संजय नगर, फेज-3 भरतपुर राज में स्थित है एवं हॉर्इपोथिकेटेड चल सम्पत्ति डेयरी उपकरण जैसे लैक्टोमीटर, दुध कैन क्रीम सेपरेटर इत्यादि को प्रार्थी बैंक के हक में वंधक किया था व वंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी० के द्वारा ऋण राशि एवं व्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 31-10-2020 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 11-8-2021 तक 1276981/- रुपये व्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी० पर वकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 24-8-2021 को वकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त वकाया रकम को मय व्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय व्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के

.....2

(2)

प्रा.पत्र / 113 / 2022

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मै0 डोली दूध भण्डार वगै.


बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 24-8-2021 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं.131, जिसका क्षेत्रफल 164 वर्ग गज जो कि स्कीम संजय नगर, फेज-3 भरतपुर राज में स्थित है एवं हॉईपोथिकेडेडरुचल सम्पत्ति डेयरी उपकरण जैसे लैक्टोमीटर, दुध केन क्रीम सेपरेटर इत्यादि, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।




(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर